

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 329/2016

Kailash Singh

----Appellant

Versus

Smt Laxmi Devi And Others

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. J.P. Goyal, Sr. Adv. with Mr. Siddarth Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Utkarsh Goyal for Mr. Rajneesh Gupta

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

08/12/2025

अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना-पत्र संख्या **01/2025** अंतर्गत आदेश 22 नियम 3, 9 व 11 सीपीसी पेश कर अपीलार्थी संख्या-1 की मृत्यु के कारण उसके विधिक प्रतिनिधिगण को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाने का निवेदन किया है। एक अन्य प्रार्थना-पत्र संख्या **02/2025** आदेश 22 नियम 3, 9 व 11 सीपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत अपील के अबेटमेण्ट को अपास्त करने हेतु और इस प्रार्थना-पत्र को प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया है।

दोनों प्रार्थना-पत्रों पर सुना गया। प्रकरण अचल सम्पत्ति में पक्षकारों के महत्वपूर्ण अधिकारों से सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्कों एवं प्रार्थना-पत्रों में अंकित कारणों को देखते हुए प्रार्थना-पत्र संख्या 2/2025 अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थना-पत्र आदेश 22 नियम 3, 9 व 11 सीपीसी को पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अबेटमेण्ट को अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3, 9 व 11 सीपीसी में अंकित विधिक प्रतिनिधिगण को मृतक अपीलार्थी की ओर से अपील जारी रखने का अधिकार होने के तथ्यों को देखते हुए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर

अपीलार्थी संख्या-1 के विधिक प्रतिनिधिगण 1/1 से 1/2 को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करते हुए अभिलेख पर लिया जाता है।

संशोधित शीर्षक पूर्व से ही अभिलेख पर उपलब्ध है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है। कार्यालय उसे पत्रावली में यथोचित स्थान पर संलग्न करे।

(SHUBHA MEHTA),J